परिशिष्ट : ए

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश, हाजीपुर, वैशाली।

उपस्थित : मनोज कुमार तिवारी,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश
निर्णय की तिथिः–26.05.2026
सत्र वाद संख्या : 136/1998
हाजीपुर नगर थाना कांड सं0–362/1997

CNR- BRVA01-000024-1998

Web Copy not Official

अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक	श्री ख्वाजा हसन खां
अभियुक्त	01–मुन्ना कुमार, पे0– जय नारायण चौधरी, साकिन–गांधी चौक, लालगंज रोड, थाना– हाजीपुर नगर, जिला–वैशाली।
अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता	1. श्री नवल किशोर सिंह

अपराध की घटना तिथि	21.10.1997
प्राथमिकी की तिथि	21.10.1997
आरोप पत्र की तिथि	15.12.1997
संज्ञान की तिथि	15.04.1998
आरोप गठन की तिथि	12.01.1999
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	15.03.1999
निर्णय पर नियत की तिथि	13.05.2026
निर्णय की तिथि	26.05.2026
दण्डादेश की तिथि, यदि हो तो	-------

परिशिष्ट : बी

अभियुक्त का विवरणः–

अभियुक्त का कमांक	A-1
अभियुक्त का नाम	मुन्ना कुमार,
गिरफ्तारी/ आत्मसमर्पण की तिथि	22.10.1997–22.07.2006
जमानत पर मुक्त की तिथि	29.05.1998–05.09.2006
आरोप गठन की धारा	भारतीय दण्ड संहिता की धारा–

	25 (1-B)a, 26 आर्म्स एक्ट
दोषमुक्त या दोषसिद्व	दोषमुक्त
दण्डादेश	-
विचारण के दौरान द0प्र0सं0 की धारा–428 के उपबंधों के अंतर्गत कारा में बितायी गई निरोध की अवधि	08 माह 20 दिन

अभियोजन/बचाव पक्ष/न्यायालय साक्षीगण की सूची

क–अभियोजन

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
पी0डब्लू0–01	विशुनदेव सिंह	पुलिस साक्षी
पी0डब्लू0–02	प्रभाकर महतो	पुलिस साक्षी
पी0डब्लू0–03	सुरेश कुमार	(पक्षद्रोही) साक्षी
पी0डब्लू0–04	धर्मेन्द्र कुमार	साक्षी
पी0डब्लू0–05	समोल कान्त झा	पुलिस साक्षी

Web Copy not Official

ख–बचाव पक्ष साक्षीगण

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
Nil	Nil	Nil

ग–न्यायालय साक्षीगण

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
Nil	Nil	Nil

अभियोजन/बचाव पक्ष/न्यायालय प्रदर्श की सूची

क–अभियोजन

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण

01	प्रदर्श–01	जप्ती सूची पर सुरेश कुमार का हस्ताक्षर
02	प्रदर्श–02	जप्ती सूची पर धर्मेन्द्र कुमार का हस्ताक्षर
03	प्रदर्श–03	आरोप–पत्र
04	एक्स मार्क	अभियोजन स्वीकृति आदेश की छायाप्रति

ख–बचाव पक्ष

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
Nil	Nil	Nil

Web Copy not Official

ग–न्यायालय प्रदर्श

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
Nil	Nil	Nil

घ–वस्तु प्रदर्श

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
Nil	Nil	Nil

उपस्थित : **मनोज कुमार तिवारी,**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश
हाजीपुर, वैशाली।

नि र्ण य

1. उपरोक्त एक मात्र अभियुक्त का विचारण भारतीय दण्ड संहिता की धारा– 25 (1-B)a, 26 आर्म्स एक्ट के लिए किया गया है।

2. अभियोजन का संक्षिप्त मामला है कि, दिनांक–21.10.1997 दिन मंगलवार समय करीब 21:30 बजे रात्रि में सूचक नर्मदेश्वर मिश्रा, अवर निरीक्षक, नगर थाना हाजीपुर ओ0डी0 डियूटी पर तैनात था कि उसी समय गुप्त सूचना मिली कि लालगंज रोड में गांधी चौक के निकट कुछ बदमाश लोग आये हुए हैं। इस बात का सनहा दर्ज किया तथा सत्यापन एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए सूचक पुलिस बल के साथ थाना से प्रस्थान किया और लालगंज रोड, गांधी चौक के निकट मुन्ना कुमार के कैसेट के गुमटी के निकट

पहुंचा। एक आदमी तेजी से लालगंज की ओर भाग चले और मुन्ना कुमार भी भागने लगे। उन्हें पीछा कर 21:45 बजे रात्रि में पकड़ लिया तथा अपने भागे हुए साथी का नाम नहीं बताये और उसके बारे में भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिये। गवाह सुरेश कुमार, धर्मेन्द्र कुमार को बुलाया। मुन्ना कुमार के काठ के कैसेट के गुमटी गवाहों के सामने सर्च किया और गुमटी के उपर झोला में पांच डिब्बा में बम सुतली के बांधा हुआ जिंदा तथा देशी पिस्तौल 303 थ्री नट थ्री की गोली खाने वाली तथा एक पोलोथीन में कुछ बम बनाने का सामान बरामद हुआ। गवाहों के सामने बरामद समानों की जप्ती सूची बनाया गया। जप्ती सूची की एक प्रति मुन्ना कुमार का हस्ताक्षर लेकर दिया। मुन्ना कुमार, बरामद बम, पिस्तौल एवं बम बनाने का समान का कागजद नहीं दिये, अवैध है, उन्हें गिरफ्तार किया गया।

Web Copy not Official

3. सूचक के स्वलिखित बयान पर दर्ज हाजीपुर नगर थाना कांड सं0–362/1997, दिनांक–21.10.1997, भारतीय दण्ड संहिता की धारा–25 (1-B)a, 26 आर्म्स एक्ट के अनुसंधानक द्वारा काण्ड सत्य पाते हुये विचारित एक मात्र अभियुक्त के विरूद्व उपरोक्त धाराओं में आरोप पत्र सं0–163/1997, दिनांक–15.12.1997 समर्पित किया गया है।

4. समर्पित आरोप पत्र एवं कांड दैनिकी पर सम्यक विचारोपरान्त इस मामले के विचारित उपरोक्त एक मात्र अभियुक्त के विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की धारा–25 (1-B)a, 26 आर्म्स एक्ट एवं 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत, दिनांक–15.04.1998 को संज्ञान लिया गया है तथा दिनांक–01.05.1998 को यह मामला विचारणार्थ सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर के न्यायालय में दौरा सुपुर्द किया गया है।

5. विचारित एक मात्र अभियुक्त के विरूद्व दिनांक–12.01.1999 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा–25 (1-B)a, 26 आर्म्स एक्ट में आरोप का गठन कर उन्हें हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिसका वह प्रत्याख्यान करते हुये विचारण का दावा किया।

6. अभियोजन की तरफ से इस मामले में कुल 05 साक्षियों का गवाही करायी गई है, जिनमें अभियोजन साक्षी सं0–01 विशुनदेव सिंह (पुलिस साक्षी), अभियोजन साक्षी सं0–02 प्रभाकर महतो (पुलिस साक्षी), अभियोजन साक्षी सं0–03 सुरेश कुमार (पक्षद्रोही साक्षी), अभियोजन साक्षी सं0–04 धर्मेन्द्र कुमार (साक्षी) एवं अभियोजन साक्षी सं0–05 समोल कान्त झा (पुलिस साक्षी) हैं।

7. अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत विलेखिय दस्तावेजी साक्ष्य कुल 04 प्रदर्श अंकित कराया गया है।

8. अभियोजन साक्ष्य बंद कर एक मात्र अभियुक्त का बयान दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–313 के अंतर्गत दिनांक–26.06.2018 को लिया गया, जिसमें वह अपने को निर्दोष बताते हुये कहा है कि अभियोजन का मामला झूठा है।

Web Copy not Official

9. प्रतिरक्षा की तरफ से इस मामले में कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. अब न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन विचारित एक मात्र अभियुक्त के विरूद्व लगाये गये आरोपों को युक्ति–युक्ति संदेह से परे साबित करने में सफल हुआ है या नहीं ?

म न्त व्य

11. अभियोजन की तरफ से अभियुक्त के विरूद्व इस मामले में विरचित आरोपों को साबित किये जाने हेतु जो साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, उनमें **अभियोजन साक्षी सं0–01 विशुनदेव सिंह, (15.03.1999)** अपने साक्ष्य में कहा है कि घटना दिनांक–21.10.1997 की है। उस वक्त मैं नगर थाना हाजीपुर में पदस्थापित था। उस दिन ओ0डी0 में नर्वदेश्वर मिश्रा थे। उनको गुप्त सूचना मिली कि गांधी चौक लालगंज रोड में कुछ अपराधी किस्म के लोग पहुंचे हुए थे। सूचना पर वे आरक्षी विशुनदेव सिंह एवं प्रभाकर महतो को अपने साथ लेकर आये थे। हमलोगों को लेकर गांधी चौक पर आये। उस समय 10 – पौने दस बज रहा था। हमलोग जब गांधी चौक पर आये तो हमलोगों को देखकर आदमी भागने लगे तो हम लोग ने उसे चहेटा जिसमें से एक आदमी पकड़ा गया और एक आदमी भाग गया। पकड़ा गया आदमी को लेकर उसके गुमटी के पास पहुंचा, जब हमलोग गुमटी के पास आये तो गुमटी खुला हुआ था और गुमटी का जमा तलाशी लेने पर गुमटी के उपर से एक देशी पिस्तौल एवं पांच बम बरामद हुआ। मुझे यह याद नहीं है कि गोली बरामद भी हुआ था। उसी झोला में जिसमें बम बरामद हुआ था, बम बनाने का सामान भी था। बरामद सामान का दरोगाजी जप्ती सूची बनाया। जप्ती सूची पर गवाहों का एवं मुदालह का दरोगाजी ने हस्ताक्षर लिया। जप्ती सूची तैयार करने के बाद एक प्रतिलिपि मुदालह को दे दिया। उसके बाद मुदालह को थाना पर लाया गया। थाना पर लाने के बाद

दरोगाजी ने आवश्यक प्रक्रिया अपनाया। न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को देखकर गवाह ने कहा कि हाजिर अदालत को ही चहेट कर पकड़ा था, जिसका सही पहचान किया।

प्रति–परीक्षण की कंडिका–04, 05 एवं 06 में इस साक्षी ने बताया है कि गांधी चौक पर एक ही चौक है। कुछ हटकर एक चौक है, लालगंज रोड पर जो रास्ता जाती है, वह गांधी चौक है, मोड़ के पास से जो सड़क नगर थाना को जाती है, उसका क्या नाम है, मुझे पता नहीं है। यह कहना गलत है कि टाउन थाना को जाने वाला सड़क को गांधी चौक कहते हैं, बल्कि लालगंज की ओर जाने वाली चौक को गांधी चौक कहते हैं, हमलोग जब गांधी चौक पहुंचे तो दो आदमी हमलोगों को देखकर भागे थे। रेलवे ओवर ब्रिज के इसी साईड दखिन तरफ में अभियुक्त को देखा था। अभियुक्त पुल के इसी पार में पकड़ा गया था। गांधी चौक के पास पाखाना या शौचालय नहीं है। मैं नहीं बता सकता कि वहां के दुकानदार लोग कहां पर नित्य–क्रिया के लिए जाते हैं। यह कहना गलत है कि मुन्ना कुमार पेशाब करने के लिए जा रहा था तो आप लोग ने दौड़ाकर पकड़ लिया। बम झोला–गुमटी के बाहर के उपरी छत से बरामद किया गया था, उसके गुमटी के अंदर से बम वाला झोला नहीं पाया गया था। झोला कपड़े का छीटदार था। मुझे नहीं पता कि बम एवं झोला कहां है, वह exbit में होगा। बम छोटा डिब्बा में सुतली लपेटा हुआ था। पिस्तौल बनावटी देशी था। गुमटी उत्तर रूख का था। गुमटी का छत ढालनुमा था। सामान रखने पर उस गुमटी से लुढ़केगा नहीं। लुढ़कने वाला सामान ही लुढ़क सकता है। बम बनाने वाला सामान में सुतली एवं अन्य सामान वगैरह था। उसका नाम नहीं बता सकता। मुदालह की गुमटी पान की गुमटी थी। उस गुमटी में केवल पान–खैनी बिकता था। उसमें कैसेट बजा रहा था और कैसेट बजाने के लिए रख रखा था। मुदालह जब पकड़ा गया तो वह उस समय अपनी गुमटी पर नहीं था। मैं उससे भागते हुए देखा एवं भागते हुए पकड़ा गया।

12. **अभियोजन साक्षी सं0–02 प्रभाकर महतो (15.03.1999)** ने अपने साक्ष्य में बताया है कि दिनांक–21.10.1997 को मैं नगर थाना हाजीपुर में पदस्थापित था। उस दिन ओ0डी0 में नर्मदेश्वर मिश्रा कार्य कर रहे थे। उनको फोन से सूचना मिला कि अपराधी किस्म के लोग गुट बनाकर बैठे हुए हैं। नर्वदेश्वर मिश्रा ने मेरे एवं विशुनदेव के चार जवान एवं एक हवलदार थे। हम सभी जीप से आये। मैं गांधी चौक से लालगंज रोड में आये। गांधी चौक से 25–30 फीट बढ़े तो दो आदमी भागने लगे तो चहेट कर मुन्ना कुमार को पकड़ उनके दुकान पर लाया गया। पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि एक दुकान पान एवं कैसेट का है। मुन्ना एवं इनका गुमटी का तलाशी लिया तो गुमटी के उपर पश्चिम तरफ एक झोला में बरामद हुआ और एक झोला गुमटी के नीचे बरामद

Web Copy not Official

हुआ। कुल दो झोला बरामद हुआ। उपर वाला झोला में पांच गोला था, जो बम था तथा एक पिस्तौल एवं एक गोली था। नीचे वाला में सुतली तथा बम बनाने का सामान था। जो सामान बरामद हुआ उसका जप्ती सूची गवाहान के समक्ष दरोगाजी बनाकर गवाहान का हस्ताक्षर लिया। जप्ती सूची का एक प्रतिलिपि मुन्ना कुमार को दिया गया। इसके बाद मुन्ना कुमार को थाना पर लाया गया। थाना पर लाने के बाद दरोगाजी ने न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुए दरोगा ने कार्यवाही आरंभ किया। मैं मुन्ना कुमार को पहचानता हूं।

प्रति–परिक्षण की कंडिका–02 एवं 03 में इस साक्षी ने बताया है कि हमें खबर ऐसा मिला कि टेलीफोन की सूचना पर बुलाया गया था। मैंने कह सकता कि ऐसी बात डायरी में अंकित है या नहीं है। मैं आमर्स के जवान का नाम नहीं बता सकता। मुझे जीप के चालक एवं जीप का नबंर याद नहीं है। गांधी चौक से भोमारी रेलवे ब्रिज की दूरी 75 मीटर के करीब होगा। लालगंज रोड में लालगंज की तरफ जाने के क्रम बांये गुमटी पड़ता है, उसके पीछे उसके पिता ताड़ी बेचते हैं और पिता की ताड़ी की दुकान है। गांधी चौक स्थान काफी भीड़–भाड़ स्थान है तथा कथित गुमटी के पास 4–5 गुमटी एवं कुछ दुकान एवं होटल है। झोला छीटदार कपड़ा था। नीचे वाला झोला पोलोथीन का था। प्लास्टिक के झोला में टूटा–फूटा सुतली 30 ग्राम के लगभग था। नीचे वाला का दरोगाजी ने जप्ती सूची नहीं बनाया था। उपर वाला का केवल जप्ती सूची बनाया गया था। जप्ती सूची पर मेरा था, विशुनदेव का हस्ताक्षर हुआ था, यह तो याद है। यह भी याद है कि उस पर मुन्ना का भी हस्ताक्षर हुआ था। बम का वजन 200, 250 ग्राम के लगभग था। सुतली लपटने के वजह से वह गोलाकार नजर आता था। पिस्तौल एक बीता से ज्यादा लंबा था, उसमें जंग नहीं लगा था। मैं नहीं बता सकता कि पिस्तौल चालू हालत में था या नहीं। मैं स्वयं चलाकर नहीं देखा। पिस्तौल पूरा लोहा का है, उसमें लकड़ी का प्रयोग नहीं हुआ था पिस्तौल देशी था। गोली एक झोला में पाया गया। गोली 303 की थी। 303 की गोला दवा वाली नहीं थी, बल्कि असली गोली थी, जो पिस्तौल से चलायी जाती है, वह गोली थी।

Web Copy not Official

13. **अभियोजन साक्षी सं0–04 धर्मेन्द्र कुमार (08.06.1999)** ने अपने साक्ष्य में बताया है कि गांधी चौक से लालगंज जाने वाली रोड पर मेरा चायपत्ती की दुकान है। मुन्ना अभियुक्त के दुकान से दो दुकान पहले मेरा दुकान है। दिनांक–21.10.1997 को जब पुलिस वाले मुन्ना के दुकान को सर्च कर रहे थे तो मैं अपनी दुकान पर था। किस समय सर्च पुलिस कर रही थी, उस वक्त मैं मुन्ना के दुकान पर नहीं गया। मैं अपने दुकान से नहीं देखा कि पुलिस क्या कर रही थी। मेरे सामने पुलिस ने पांच बम, एक देशी पिस्तौल एवं देशी पिस्तौल का खाली खोखा नहीं बरामद किया था। मेरे सामने पुलिस ने

जप्ती सूची नहीं बनाया था। मैं पुलिस द्वारा तैयार किसी जप्ती सूची पर हस्ताक्षर नहीं किया था बल्कि सादा कागज पर पुलिस ने हस्ताक्षर लिया था और उसी पर जप्ती सूची तैयार किया है। गवाह ने अपना हस्ताक्षर का पहचान किया जिस पर प्रदर्श–01 डाला गया।

प्रति–परिक्षण की कंडिका–02 में इस साक्षी ने बताया है कि मैं सम्मन मिलने पर गवाही देने आया हूं। दरोगाजी ने मुझसे सादा कागज पर अपना हस्ताक्षर बना दिया था।

Web Copy not Official

14. **अभियोजन साक्षी सं0–05 समोल कान्त झा (11.09.2000)** ने अपने साक्ष्य में बताया है कि दिनांक–21.10.1997 को हम नगर थाना हाजीपुर में स0अ0नि0 के पद पर पदस्थापित थे। उस दिन हम साढ़े नौ बजे रात में नगर थाना हाजीपुर में ही उपस्थित थे और ओ0डी0 डियूटी में अ0नि0 नर्मदेश्वर मिश्रा थाना पर तैनाते थे, जिन्हें गुप्त सूचना मिली कि गांधी चौक के समीप कुछ अपराधी इक्ट्ठा हैं। इस आशय का सनहा दर्ज कर मुझे तथा थाना के आरक्षी प्रभाकर महतो, आरक्षी विशुनदेव सिंह एवं हवलदार नागेश्वर सिंह के साथ सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु थाना से प्रस्थान किये थे। गांधी चौक आने पर गांधी चौक के रोड पूरब एवं पश्चिम लालगंज रोड में रोड के दक्षिण एक गुमटी के पास से दो व्यक्ति भागने लगे। उनमें से एक व्यक्ति को पकड़ा गया। पूछने पर अपना नाम मुन्ना कुमार बताया। अ0नि0 नर्वदेश्वर मिश्रा ही स्थानीय साक्षी सुरेश कुमार और धर्मेन्द्र कुमार के समक्ष उन्होंने अपना तथा पुलिस बल का तलाशी देते हुए मुन्ना कुमार का तलाशी लिये तथा मुन्ना कुमार के काठ के कैसेट गुमटी का विधिवत् तलाशी लिये तो एक गुमटी के अंदर एक झोला में से एक देशी पिस्तौल, एक पोलोथीन में एक बम बनाने का सामान तथा जिंदा बम बरामद किया गया। उसका विधिवत् जप्ती सूची बनाकर जप्त किया गया और मुन्ना कुमार से बरामद सामान का वैद्यता संबंधी कागजात मांग किये तो वह कोई कागज प्रस्तुत नहीं किये और ना ही इस संबंध में जवाब दिया तब वादी हमलोगों के समक्ष मुदालह को लेकर प्रस्थान किये और थाना पर आये, तब वादी नर्मदेश्वर मिश्रा अपना जप्ती सूची तैयार किये। मुदालह मुन्ना कुमार को हम पहचानते हैं, जो आज न्यायालय में उपस्थित है।

प्रति–परिक्षण की कंडिका–03, 04, 05 एवं 06 में इस साक्षी ने बताया है कि थाना से हमलोग साढ़े नौ सुबह में प्रस्थान किये थे। वादी को गुप्त सूचना मिली थी, लेकिन किस माध्यम से यह गुप्त सूचना मिली थी, मुझे नहीं मालूम। गांधी चौक पर एक ही चौराहा है। ऐसा कहना गलत है कि वहां पर दो चौराहा है। मुदालह की गुमटी लालगंज रोड पर है। गुमटी को हमने खुला देखा था। रोड के दक्षिण किनारे पर वह गुमटी थी। मुदालह के गुमटी के आसपास किसके–किसके दुकान या गुमटी है या किसकी

है, हम नहीं बता सकते हैं। रोड के उत्तरी दिशा पर किसका–किसका गुमटी या दुकान है या कितनी है, हम नहीं कह सकते हैं। पश्चिम एवं दक्षिण दिशा पर लालगंज जाने के लिए पक्की रोड है। जब हमलोग मुदालह के गुमटी के पास पहुंचे तो वहां राहगीर चल–फिर रहे थे। मुदालह को गुमटी के पास उत्तरी ओर पकड़े या दक्षिणी ओर, याद नहीं। मुदालह की गुमटी से बीस–पच्चीस गज की दूरी पर मुदालह को पकड़ा गया था, एक और मुदालह पश्चिम की तरफ भागा था, उसे भी पकड़ने का प्रयास किया गया, अंधेरा होने के कारण ज्यादा दूर उसको पीछा करके पकड़ने का कोशिश भी किया गया। गुमटी की लंबाई–चौड़ाई या उंचाई हम नहीं बता सकते हैं, उस गुमटी में कौन–कौन कंपनी का कैसेट था जानकारी लेने की जरूरत नहीं समझा। गुमटी के अंदर से झोला सामान दिख रहा था। वह टंगी हुई अवस्था में मिला था। गुमटी के अंदर एक पोलोथीन में लपेटा बम बनाने का सामान था, जो एक थैली में रखा था। वह थैला शायद कपड़े का बना था। याद नहीं की पोलोथीन का रंग कैसा था। थैला की लंबाई–चौड़ाई हम नहीं बता सकते हैं। थैला का मुंह बंधा हुआ नहीं था। थैला का रंग कैसा था, याद नहीं। झोला में जो डब्बा था उसमें सुतली लपेटा हुआ था। वह डब्बा कितना बड़ा था, यह नहीं कह सकते। गुमटी का छत एक तरफ ढ़ाल था। पिस्तौल भी बरामद हुआ, जिसकी लंबाई–चौड़ाई हम नहीं बता सकते हैं। वह पिस्तौल देशी था। पिस्तौल के बट की लंबाई क्या थी, याद नहीं। उस पिस्तौल में थ्री नाट की गोली का प्रयोग होता था। मुदालह ने खुद ही कहा था कि हम गुमटी का मालिक है। उसका कागजात मांग नहीं की थी।

Web copy not official

15. **अभियोजन साक्षी सं0–03 सुरेश कुमार (08.06.1999)** (पक्षद्रोही) साक्षी अपने साक्ष्य में कहा हैं कि, घटना की जानकारी मुझे नहीं है। पुलिस में मेरा बयान नहीं हुआ था। अभियोजन के निवेदन पर इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है तत्पश्चात् इनके पूर्व के बयान अंतर्गत धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तरफ इनका ध्यान आकृष्ट कराते हुये इनका खण्डन किया गया है।

16. उभय पक्षों का बहस सुना। अभियोजन के विद्वान अपर लोक अभियोजक का तर्क है कि साक्षियों ने घटना का समर्थन किया है और जिन साक्षियों ने घटना का समर्थन नहीं किया है, उनका भी प्रति–परीक्षण अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही साक्षी के रूप में किया गया है। यद्यपि कि सूचक साक्ष्य के लिए उपस्थित नहीं हुए फिर भी इसके कारण अभियोजन के कथांनक में कोई विरोधाभास उत्पन्न नहीं हुआ है। अतः अभियुक्त दोष–सिद्ध का अधिकारी है। दूसरी तरफ बचाव पक्ष का तर्क है कि सूचक स्वयं अनुसंधानकर्ता भी है और उसने अपने द्वारा दर्ज किये गये प्राथमिकी को स्वयं ही सत्य घोषित करते हुए आरोप–पत्र प्रस्तुत किया था। चूंकि सूचक–सह–अनुसंधानकर्ता

श्रीमान् नर्मदेश्वर मिश्रा, सारी प्रकिया के बावजूद भी साक्ष्य के लिए उपस्थित नहीं हुए, अतः बचाव पक्ष को उनका प्रति–परीक्षण का भी अवसर प्राप्त नहीं हो सका। विधि का यह सिद्धांत है कि केवल प्राथमिकी दर्ज कराये जाने के आधार पर किसी भी व्यक्ति को दोष–सिद्ध नहीं किया जा सकता, वह भी तब जबकि प्राथमिकी को भी अभियोजन के द्वारा प्रदर्श अंकित नहीं कराया गया था, इसलिए अभियुक्त पूर्णतः दोष–मुक्ति का अधिकारी है।

17. दोनों पक्षों का बहस सुना एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के साक्ष्य का परिशीलन किया। परिशीलन से स्पष्ट है कि इस केस के सूचक तत्कालिन नगर थाना हाजीपुर में अवर निरीक्षक, के पद पर कार्यरत नर्मदेश्वर मिश्रा है, इन्होंने स्वयं मामले का अनुसंधान भी किया था और आरोप–पत्र भी प्रस्तुत किया था। यद्यपि कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय **मुकेश सिंह बनाम स्टेट, ए0आई0आर0 2020 सुप्रीम कोर्ट 4794** में संविधान पीठ ने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है कि केवल इसी आधार पर कि सूचक स्वयं अनुसंधानकर्ता भी हैं, विचारण को दूषित नहीं कर देता है, फिर भी जब स्वयं अनुसंधानकर्ता–सह–सूचक साक्ष्य के लिए उपस्थित नहीं हुआ तो केवल सूचक द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराने के आधार पर किसी भी व्यक्ति को उसके प्रति–परीक्षण के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि विधि शास्त्र का यह स्थापित सिद्धांत है कि साक्षी के साक्ष्य की विश्वसनीयता उसके प्रति–परीक्षण पर ही निर्धारित किया जाना चाहिए। यद्य पि कि सूचक भी मात्र एक साक्षी की ही हैसितय रखता है, परन्तु प्राथमिकी को कभी भी प्रदर्श अंकित नहीं कराया गया और ना ही जप्त प्रदर्श को न्यायालय में प्रस्तुत कराया गया और ना ही आर्म्स के जांच का रिपोर्ट देने वाले सारजेंट मेजर का ही साक्ष्य कराया गया। जहां तक अन्य साक्षियों के साक्ष्य का प्रश्न है, साक्षियों ने मुख्य–परीक्षण में घटना का तो समर्थन किया है, परन्तु किस स्थान से आपराधिक वस्तु बम एवं हथियार बरामद किया गया था, इस संबंध में भी अभियोजन साक्षी सं0–01 एवं 02 ने स्पष्ट रूप से मुख्य–परीक्षण में कहा है कि गुमटी के उपर से एक देशी पिस्तौल एवं 05 बम बरामद किया गया था, परन्तु अन्य साक्षियों ने जप्ती का समर्थन नहीं किया है। जैसे कि अभियोजन साक्षी सं0–03 ने स्पष्ट रूप से घटनास्थल पर उपस्थित होने से इंकार किया है, जबकि अभियोजन साक्षी सं0–04 ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि मेरे सामने पुलिस ने बम या देशी पिस्तौल बरामद नहीं किया था और इसे अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही भी घोषित नहीं कराया गया है। ऐसी परिस्थिति में पुलिस पदाधिकारी–सह–अभियोजन अपने मामले को साबित करने में पूरी तरह असफल रहा है और अपना दायित्व केवल प्राथमिकी दर्ज कराने एवं आरोप–पत्र समर्पित करने तक ही सीमित रखा है। इसलिए अभियुक्त को पूरी तरह निर्दोष करार दिया जाता है।

Web Copy not Official

आदेश

18. अतः एक मात्र अभियुक्त : **मुन्ना कुमार,** पे0–जय नारायण चौधरी, साकिन–गांधी चौक, लालगंज रोड, थाना–हाजीपुर नगर, जिला–वैशाली को उनपर लगाए गए भारतीय दण्ड संहिता की **धारा–25 (1-B)a, 26 आर्म्स एक्ट** से उन्हें निर्दोष पाकर दोष मुक्त किया जाता है दोषमुक्त अभियुक्त एवं उनके जमानतदारों को बंध–पत्र के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

Web copy not Official

(लेखापित एवं शुद्धिकृत)

(**मनोज कुमार तिवारी**)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
–सह–विशेष न्यायाधीश
हाजीपुर, वैशाली।
26.05.2026

लेखापित

(**मनोज कुमार तिवारी**)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
–सह–विशेष न्यायाधीश
हाजीपुर, वैशाली।
26.05.2026

Date of Judgment/Order	26-05-2026
Date of Reserving Judgment/Order	13-05-2026
Uploading Date	01-06-2026
Uploaded by	Anand Kumar

Web Copy not Official